

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p align="center">न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा। परमीशन वाद संख्या 40/2022-23 सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49(3) अन्तर्गत</p> <p align="center">आदेश</p> <p>यह वाद आवेदकगण 1. श्री विश्वजीत तिकी पिता-जीतन तिकी, 2. लिनस तिकी, पिता-स्व0 जयकरण उरांव एवं 3. प्रेम प्रकाश तिकी, पिता-स्व0 धनी तिकी सभी साकिन, ग्राम-बड़गड़, टोला-कोम्भीकोना, पोस्ट-बड़गड़, थाना-भंडरिया, जिला-गढ़वा की ओर से सिंचाई योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) को सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49(3) के अन्तर्गत अपनी भूमि के बिक्री की अनुमति के निमित्त प्राप्त आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। आवेदित भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, भंडरिया से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई।</p> <p>अंचल अधिकारी, भंडरिया के पत्रांक 649, दिनांक 19.12.2022 एवं 63, दिनांक 06.02.2023 से प्राप्त आवेदित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि के रैयत जयकरण उरांव पिता बुधु उरांव हैं। वर्तमान आवेदकगण रैयत के वंशज हैं। 2. पंजी-11 में खाता-36, प्लॉट-1772 की किस्म टांड-2 है, जिसका रकबा 1.36 ए0 है। 3. भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। 4. भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेतागण भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। <p>सरकारी अधिवक्ता, गढ़वा द्वारा भी उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित भूमि को कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) के पक्ष में ट्रान्सफर किये जाने का निम्नवत् मंतव्य दिया गया है :-</p> <p>"Having examined the relevant legislation I am in the opinion that the petitioner can transfer their holding in favour of the Executive Engineer, Waterways Division, Garhwa (Deptt. Of Water Resources) for construction of delivery chamber for the purpose of irrigation after getting proper compensation(consideration amount) by mentioning in the deed that the transferee shall be entitled to use the land only for the purpose for which it was transferred and all condition laid down in sec 49 or the provision of CNT Act shall be applicable in such</p>	

transfer."

अतः अंचल अधिकारी से प्राप्त उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49(3) अन्तर्गत आवेदकगण

1. श्री विश्वजीत तिर्की पिता-जीतन तिर्की, 2. लिनस तिर्की, पिता-स्व0 जयकरण उरांव एवं 3. प्रेम प्रकाश तिर्की, पिता-स्व0 धनी तिर्की सभी साकिन, ग्राम-बड़गड़, टोला-कोम्भीकोना, पोस्ट-बड़गड़, थाना-भंडरिया, जिला-गढ़वा के द्वारा मौरुषी भूमि को सिंचाई हेतु डेलिवरी चैंबर निर्माण के लिए क्रेता कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) के नाम से आवेदित निम्नांकित भूमि की बिक्री की अनुमति दी जाती है।

1. सी0एन0टी0 एक्ट की सुसंगत धाराओं का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
2. भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जाएगा।

भूमि का विवरण:-

क्र0 सं0	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
1	बड़गड़	197	36	1772	0.30	उ0-अगस्तुस तिर्की द0-निज एकरारकर्ता पू0-महेन्द्र तिर्की प0-जंगलपति कुजूर

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा